12-03-2024

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री सुधीर श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर आवेदक कृष्णगोपाल द्वारा अभियुक्त से राजीनामा हो जाने संबंधी आवेदन अन्तर्गत धारा 320(1) व 320(2) दप्रसं प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण से संलग्न किया गया।

कृष्णगोपाल

सुनील

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि, अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 294, 323, 427, 506 भाग–दो भादस** का आरोप है।

Order Sheet [Contd]

Case No. 312 of 2023

of her or oceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित अपराध न्यायालय की अनुमति से आहत द्वारा एवं पक्षकारों की आपसी सहमति से राजीनामा योग्य है। आवेदक अभियोजित अपराध के शमन हेतु सक्षम पक्षकार हैं। आवेदक की पहचान **श्री सुधीर श्रीवास्तव अधिवक्ता** द्वारा की गयी। उभयपक्ष को सुना गया। आवेदक द्वारा स्वेच्छ्या बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध शमन करना व्यक्त किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को उक्त अपराध के शमन की अनुज्ञा धारा 320(2) दप्रसं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गयी। आवेदक की ओर से छाया चित्रयुक्त, लिखित एवं हस्ताक्षरित शमन आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी अभियोजित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित उक्त अपराध का शमन **स्वीकार** किया जाता है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के आरोप से धारा 320(8) दप्रसं के प्रावधान अनुसार **दोषमुक्त** घोषित किया जाकर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी एवं सी.आई.एस. में अंकित किया जाकर विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। 12-03-24 (कुलदीप नामदेव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.	कृष्णगोपाल सुनील